...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...ना–पत्र संख्या :–230 / 2022

...CMS NO:- 2022/413 दायर दिनांकः 27.09.2022

पीठासीन अधिकारीः– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. प्रकाश आ0 पोखर जाति रेगर निवासी ग्राम बालापुरा ग्राम पंचायत सीसोला तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 131,136 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 28.11.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सीसोला पटवार मण्डल सीसोला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 130 की खसरा संख्या 696 / 1839 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रार्थी दर्ज खातेदार प्राप्त होने के समय से ही काबिज काश्त होकर समय समय पर फसल बोता व काटता चला आ रहा है। वर्तमान समय में मक्का व सोयाबीन की फसल बो रखी है तथा उक्त भूमि में चारों ओर तारबंदी कर रखी है तथा तीन पेड नीबू, पांच पेड नीम व एक पेड अमरूद का 10–12 साल से लगे हुये है। उक्त भूमि में प्रार्थी ने एक मकान भी बना रखा है तथा ट्युवैल लगा रखी है तथा अपने परिवार सहित उक्त भूमि पर निवास कर रहा हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी के काबिज स्थान की चतुर्थ सीमा पूर्व में प्रहलाद आ0 पोखर की भूमि, पश्चिम में शंकर आ0 पोखर की भूमि, उत्तर में रमेश आ0 लादू की भूमि, दक्षिण में हरजी की भूमि स्थित है। उक्त भूमि को नक्शा परिशिष्ट "अ" में X स्थान दर्शाया गया है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में हो रही तरमीम को Y स्थान दर्शाया गया है। नक्शा परिशिष्ट "अ" प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। यह कि प्रार्थी X स्थान पर अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी की भूमि को उसके कब्जे वाल X स्थान पर राजस्व नक्शे में भूमि तरमीम ना कर बिना भौतिक सत्यापन किये ही Y स्थान पर उक्त भूमि की तरमीम कर दी है जबकि Y स्थान पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को गलत की गई तरमीम के बारे में राजस्व कर्मचारियों व अप्रार्थी से कई बार मौखिक व लिखित रूप में कई बार निवेदन किया कि आपने मेरी भूमि की गलत तरीके से तरमीम कर दी है मेरा तो X स्थान पर ही कब्जा है तथा आपने उक्त भूमि को Y स्थान पर तरमीम कर दिया है। आप तरमीम को दुरूस्त कर Y स्थान ही तरमीम को विलोपित कर X स्थान पर तरमीम कर देवें किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी की एक नही सूनी तथा प्रार्थी ने 10.09.2022 को भी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की खाते की भूमि का गलत रूप में तरमीम का हो रहे इन्द्राज का दुरूस्त करने का तकाजा किया लकिन अप्रार्थी ने इन्द्राज दुरूस्त करने से मना कर दिया, यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। यह कि प्रार्थी को अधिकार को प्राप्त है कि प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से हो रही तरमीम को निरस्त करवाकर सही तरमीम करवाये तथा इस आशय का अंकन समस्त राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में करवाये । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ... आदि प्रस्तुत किये।

प्रार्थना पत्र में तरमीम संशोधित किये जाने के स... तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके मुताबिक ग्राम सीसोला में खसरा न0 ... 1839 ... 4 रकबा 0.8090 है0 प्रकाश पुत्र पोखर जाति रेगर सा... बालापुरा ... बड़ोदा ... ग्रामीण बैंक शाखा जजावर दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मौका स्थिति ... 696 ... वर्षो से चला रहा है। डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत ... तरमीम मौके पर काबिज के अनुसार न होकर सहवन से गलत हो गई है। पटवारी हल्का सीसोला द्वारा ख0 नं0 696 / 1839 की तरमीम कब्जा काश्त अनुसार लाल स्याही से प्रस्तावित हो गई है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रस्तावित तरमीम शुद्धि किया जाने की अभिशंषा की जाती है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। तहसीलदार नैनवां

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.30 12:44:26 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

...से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 696/1839 रकबा 0.8090 हैक्टेयर की डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत मौके पर काबिज काश्त अनुसार न होकर सहवन से गलत ...ई है, जिसको शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः ग्राम सीसोला पटवार मण्डल सीसोला ...सील नैनवां जिला बून्दी राज0 सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 130 की खसरा संख्या 696/1839 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि की तरमीम कब्जा काश्त अनुसार लाल स्याही से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस जिसे परिशिष्ट"क" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा, के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेशानुसार तरमीम शुद्ध की जाकर आवश्यक संशोधन राजस्व रिकार्ड में किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.30 12:44:26 IST
Reason: SelfAttested

आंकिक नक्शा केस
ग्राम - खिमोला
तह = नैनवां
जिला - बूंदी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ जिला बूंदी

परिशिष्ट - "क"

क्रमांक 655 दिनांक

तहसीलदार
नैनवाँ

विषय :-वाद पत्र संख्या 230/प्राथ/2022 बउनवान प्रकाश v/s भू. स्वामी

निर्णय दिनांक 28/11/22

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र / प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक / अन्तिम डिक्री / निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवाई जा रही है । पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे ।

संलग्न:- निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

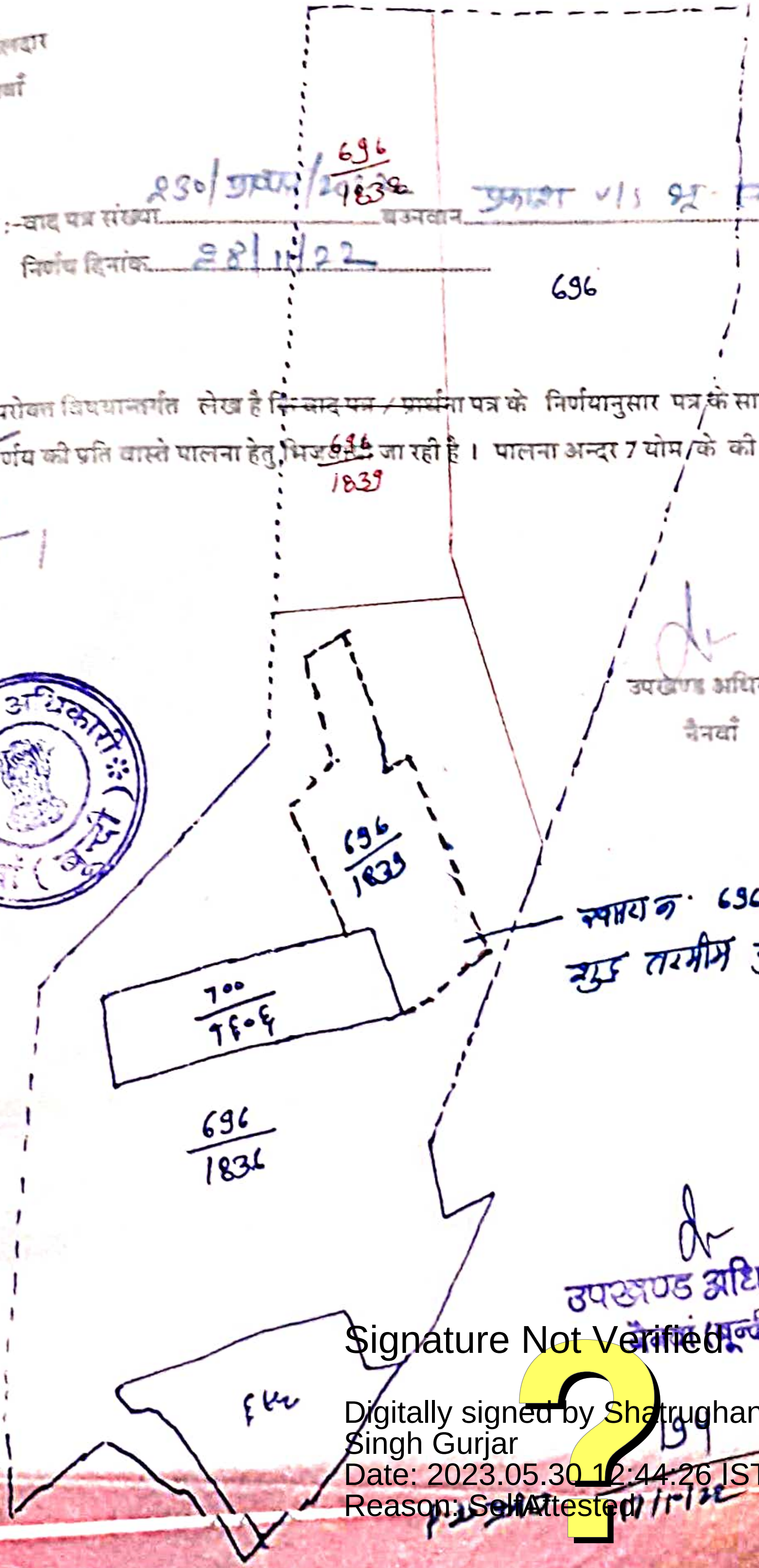

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

(Seal: उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी))

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.30 12:44:26 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी

राजस्व [illegible] केस निःशुल्क [illegible]

7/11/22
श्याम कहार
पटवारी